न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.
वाद संख्या 58/2020
अर्न्तगत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सतविन्द्र कौर पत्नी गुरमेज सिंह पुत्री कुलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 बी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। .... वादीया

व ना म

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .. प्रतिवादी

उपस्थित– श्री जीतपाल सिंह (अधिवक्ता वादीया)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–1)

दिनांक 12 जून, 2024

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार यह कि वादीया व वादिया की बहने सुखविन्द्र कौर, अमनदीप कौर के नाम से चक 3 एच छोटो पटवार हल्का 3 एच छोटी भू. अभि. नि.क्षेत्र चूनाबढ तहसील श्रीगंगानगर के खाता स० 69/60 के मु0न0 14 के किला न0 4 ता 25 की कुल 5.5660 हेक्टर नहरी भूमि बहिस्सा बराबर जमाबंदी में दर्ज है वादिया का इसमें 1/3 हिस्सा है, वादीया व उसकी बहनो को उक्त भूमि अपने पिता कुलवीर सिंह से जरिये बंटवारा प्राप्त हुई थी जमाबंदी में वादीया का नाम हरविन्द्र कौर पुत्री कुलवीर सिंह जाति जटसिख दर्ज है। वादीया का पीहर गांब 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में है। वादीया के जन्म के बाद परिवारवालों ने वादीया का नाम हरविन्द्र कौर रखा था, स्कूल में भी वादीया का नाम हरविन्द्र कौर दर्ज करवाया गया था तथा वादीया का मूल निवास प्रमाण पत्र में भी नाम हरविन्द्र कौर पुत्री कुलवीर सिंह दर्ज किया हुआ है। पीहर में वादीया का नाम हरविन्द्र कौर ही था, जिसके कारण जमाबंदी में भी वादीया का नाम हरविन्द्र कौर दर्ज किया गया था। वादीया का विवाह गुरमेज सिंह के साथ सन 1993 में हुआ था वादीया शादी के बाद अपने पति के निवास स्थान 5 बी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में निवास कर रही है। शादी के बाद वादीया के ससुराल वालो ने वादीया का नाम हरविन्द्र कौर से बदलकर सतविन्द्र कौर कर दिया था, जिस पर वादीया के विवाह के बाद के दस्ताबेज वोटरकार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि समस्त दस्तावेजो में वादीया का नाम सतविन्द्र कौर दर्ज है। वादीया का कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज नाम व वोटरकार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेजो में दर्ज नाम से मिलान नही होता है जिसके कारण वादीया को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अडचने पैदा होती है। इसके अलावा काश्तकारों को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी वादीया वंचित हो रही है। हरविन्द्र कौर व सतविन्द्र कौर दो अलग अलग महिला नही है बल्कि एक ही महिला (वादीया) के दो नाम है चूंकि वादीया के सभी दस्ताबेज सतविन्द्र कौर के नाम से है परन्तु जमाबंदी में हरविन्द्र कौर नाम होने से वादीया को काफी परेशानी हो रही है इसलिए वादीया जमाबंदी में अपना नाम हरविन्द्र कौर के स्थान पर सतविन्द्र कौर दर्ज करवाना चाहती है। वादीया माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैंड से आई है इसलिए वादीया उक्त संशोधन दर्ज करवाने की अधिकारी है। वादीया की पीहर ग्राम पंचायत 3 एच छोटी के सरपंच ने भी अपने लैटरपैड पर प्रमाणित किया है कि हरविन्द्र कौर व सतविन्द्र कौर एक ही महिला के दो नाम है। वादीया को दोनों ही नामो से जाना जाता है। वादीया ने दिनांक 20.10.2020 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि वादीया का नाम जमाबंदी में संशोधित कर हरविन्द्र कौर के स्थान पर सतविन्द्र कौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

किया जावे तो प्रतिवादी ने कहा कि इसके लिए आपको श्रीमान के समक्ष दावा प्रस्तुत करना होगा, यह वाद कारण है। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर अवधि उचित कोर्ट फीस पर द्वितिय प्रति के साथ पेश किया गया।

वादीया निम्नलिखित अनुतोष चाहती है:

चक 3 एच छोटी पटवार हल्का 3 एच छोटी भू.अभि.नि.क्षेत्र चूनावढ तहसील श्रीगंगानगर के खाता स० 69/60 के मु0न0 14 के किला न0 4 ता 25 की कुल 5.5660 हेक्टर में वादीया का 1/3 हिस्सा जो जमाबंदी में "हरविन्द्र कौर' के नाम से दर्ज है की प्रविष्टि को संशोधित कर उसके स्थान पर वादीया का नाम 'सतविन्द्र कौर' दर्ज किया जावे ।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 09.02.2021 को स्टेट जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार हरविन्द्र कौर व सतविन्द्र कौर एक ही महिला के नाम है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में हरविन्द्र कौर उर्फ 'सतविन्द्र कौर' शुद्ध किया जाना उचित होगा।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रति (आधार नं0 805923529962), कार्यालय ग्राम पंचायत 3 एच छोटी का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट की प्रति, तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर की ओर से प्रस्तुत जवाब स्टेट एवं रिपोर्ट पटवार हल्का 3 एच छोटी का अवलोकन किया गया। अभिलेखिये साक्ष्यों एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का 3 एच छोटी एवं जवाब स्टेट के अनुसार वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया है।

आदेश

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्व कास्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादीया का नाम जमाबन्दी चक 3 एच छोटी, पटवार हल्का 3 एच छोटी, भू0 अ0 नि0 चूनावढ के खाता संख्या 69/60 में वादीया का नाम 'हरजिन्द्र कौर' को संशोधित कर सतविन्द्र कौर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 12.06.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:26 IST
Reason: SelfAttested

नीतू कुलहरी
(आर. ए. एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर